न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी,

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 217 सन 2026

सोहिल खान पुत्र साहुन खान, उम्र 19 साल, निवासी नान्दनहेडी, पुलिस थाना विजयमन्दिर, जिला अलवर (राज.)

--प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर

--विपक्षी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 39/2026, पुलिस थाना विजय मंदिर, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 318(2), 318(4) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66D आईटी एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री इदरीश खान, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 16.03.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त सोहिल खान की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 39/2026, पुलिस थाना विजय मंदिर, अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 19.02.2026 को परिवादी एएसआई निहालसिंह, पुलिस थाना विजय मंदिर, अलवर ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि आज वह मय जाब्ता व अनुसंधान बाक्स के साईबर फ्रॉड म्यूल अकाउंट की खाता धारक के जांच हेतु थाने से रवाना होकर नाली मोड पहुंचे जहां मुखबीर सूचना मिली की म्यूल अकाउंट खाता धारक जो सुबोध स्कूल के दीवार के पास कोने में बाहर कच्चे रास्ते के पास बैठा है, जिसके पास मोबाईल है। सूचना पर जाब्ता के रवाना होकर मुखबीर द्वारा बताये हुए स्थान पर पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति सुबोध स्कूल के दीवार के पास कच्चे रास्ते पर अंधेरे में मोबाईल चलाता दिखाई दिया, जो पुलिस जाब्ता को बावर्दी देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेरा देकर अपने स्थान पर बैठे रहने की हिदायत कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सोहिल खान होना बताया, जिससे बैंक खाता संख्या 1439000100092926 के बारे में मौखिक पूछताछ की गयी तो खाता स्वयं का होना बताया। उस व्यक्ति के कब्जे में मिले मोबाईल का अवलोकन किया गया

तो मोबाईल फोन वीवो कंपनी का पाया गया। उक्त मोबाईल के वाट्सएप को खोलकर चैक किया गया तो वाट्सएप आईडी मोबाईल नम्बर 7737193932 से बनी हुई है, जिमसें सोहिल का नाम प्रदर्शित हो रहा है व विभिन्न मोबाईल नंबरों पर क्यूआर कोड भेजे हुए हैं। उक्त मोबाईल नंबर की जरिये मोबाईल कम्प्यूटर ऑपरेटर से वार्ता कर समन्वय पोर्टल पर शिकायत दिखवायी गयी तो उक्त मोबाईल नम्बर की शिकायत दर्ज होना पाया गया, जिससे कुल 2,900/- रूपए का पृथक पृथक कुल तीन बार दिनांक 07.01.2026 को फ्रॉड किया गया.....इत्यादि।

3- उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 39/2026, पुलिस थाना विजयमन्दिर, जिला अलवर में धारा 318(2), 318(4) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66 डी आईटी एक्ट में दर्ज कर तफ्तीश प्रारम्भ की गई। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त सोहिल खान को दिनांक 19.02.2026 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 23.02.2026 को खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को मामले में झूठा फंसाया गया है । प्राथी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा क्यूआर कोर्ड विभिन्न व्यक्तियों को भेजने को प्रार्थी के विरूद्ध साईबर अपराध का आरोपी माना गया है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त क्यूआर कोर्ड बनाने की व बेचने की कम्पनी NetAmbit Valuefirst Services Private Limited में कार्यरत है। प्रार्थी कम्पनी के कार्यरत होने के कारण विभिन्न दुकानों पर क्यूआर कोर्ड बनाकर देने का कार्य करता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई फ्रॉड नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का कथन रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को साईबर अपराध में लिप्त होना पाया गया है। साईबर अपराध किये जाने की शिकायत भी दर्ज हुई है। अतः जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त सोहिल खान के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट नहीं होता है। प्रार्थी/अभियुक्त ने NetAmbit Valuefirst Services Private Limited में अपनी नियुक्ति संबंधी दस्तावेज भी पेश किये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.02.2026 से लगातार अभिरक्षा में है। प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

7- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त सोहिल खान पुत्र साहुन खान, उम्र 19 साल, निवासी नान्दनहेडी, पुलिस थाना विजयमन्दिर, जिला अलवर (राज.) की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी सन्तुष्टि बाबत पचास हजार रूपए का मुचलका एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की दो जमानतें पेश कर तस्दीक करवा लेवे, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

8- आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर